राजस्व आवेदन संख्या 65/2025
राजेन्द्रकुमार बनाम सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : अशोक कुमार ,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 65/2025

जी.सी.एम.एस.संख्या :– 2025/102

प्रार्थीगण		विप्रार्थी
1.राजेन्द्रकुमार पुत्र सांवलाराम 2.रेखा कुमारी सेजू पुत्री सांवलाराम 3.रमेश कुमार सेजू पुत्र सांवलाराम 4.शान्तिदेवी पत्नि सांवलाराम 5.सुरेशकुमार सेजू पुत्र सांवलाराम जाति मेघवाल निवासी नाकोड़ा रोड़ जसोल तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा		राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

<u>राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क,राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

<u>उपस्थिति</u>–

1.श्री भूपेन्द्र गहलोत,प्रार्थीगण अधिवक्ता
2.विप्रार्थी अनुपस्थित।

<u>:आदेश:</u>

दिनांक– 05.12.2025

01. प्रकरण का संक्षिप्त में सारवान तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण ने अपने खातेदारी भूमि खसरा संख्या 199 क्षेत्रफल 2.7519 हैक्टेयर मौजा मेवानगर तहसील पचपदरा में कृषि कार्य हेतु आवागमन के लिए विप्रार्थी का खसरा संख्या 689/195 में से नजरी नक्शा परिशिष्ट अ में दर्शित मार्क ए से बी तक 30 फीट चौड़ा रास्ता कायम करने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया हैं तथा संलग्न नक्शानुसार रास्ता नजदीक सरल एवं एकमात्र विकल्प होने के कारण प्रार्थी के खातेदारी जोत तक कृषि कार्य आवागमन हेतु उक्तानुसार सार्वजनिक रास्ता घोषित करने का निवेदन किया हैं।

02. प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी का नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुआ। विप्रार्थी तहसीलदार पचपदरा ने प्रकरण में जवाब पेश नहीं कर निर्धारित प्रारूप में मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की,जो शामिल मिसल हैं।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

03. तत्पश्चात् प्रकरण मे उभय–पक्षकारान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी के आवेदन–पत्र के संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ' में दर्शित मार्क ए से बी तक यानि विप्रार्थी 689/195 मौजा मेवानगर में से प्रार्थीगण के खातेदारी खेत संख्या 199 तक चौड़ा रास्ता 30 फिट भूमि तक आवागमन एवं कृषि उपयोग हेतु रास्ता घोषित किया जावें। उक्त रास्ता नजदीक सरल एवं सुगम रास्ता हैं,प्रार्थीगण के पास आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता विधमान नहीं है। अतः तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के अनुसार रास्ता स्वीकृत किया जाता है,तो प्रार्थी को आपति नहीं है।

04. हमनें उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं मौका रिपोर्ट का गहनतापूर्वक अवलोकन किया तथा सुसंगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि तक पहुंचने हेतु खसरा संख्या 689/195 में से 30 फीट चौड़ाई का रास्ता प्रदान करने का निवेदन किया है। विप्रार्थी ने जवाब पेश नही कर निर्धारित प्रारूप मे मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत कर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तक पहुंच हेतु रिपोर्ट उपलब्ध करवाए गए,जिसके अनुसार :–

05. ग्राम मेवानगर तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 199 प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। आवागमन हेतु प्रस्तावित रास्ता खसरा संख्या 689/195 में से रास्ता दिया जाना प्रस्तावित किया गया है,रास्ता दिए जाने के कारण 355 मीटर लम्बा व 9 मीटर चौड़ा कुल 3195 वर्गमीटर भूमि बनती है। प्रस्तावित रास्ता जो कि निकटतम एवं उपयुक्त है,उक्त प्रस्तावित रास्ता के अलावा निकटतम इसके अलावा अन्य विकल्प नही है तथा तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तावित रास्ता मार्क सी से डी ही दिए जाने की अनुशंषा की गई है।

06. हस्तगत प्रकरण के विचारण एवं निर्णयन हेतु हम धारा 251–क,राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में संक्षिप्त जांच के संबध में वर्णित प्रावधान का उल्लेख करना आवश्यक समझतें है,जिसके अनुसारः–

i. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं हैं; और

ii. अन्य खातेदार की जोत में से होकर,विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में,पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है–

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

तो आदेश द्वारा,आवेदक को,अभिधारी,जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है,दर्शाया जाये,भूमि में से होकर,और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए,उस अभिधारी को,जो उस भूमि को धारित करता है,जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विधमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजुर किया जाये,ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये,अनुज्ञात कर सकेगा।

उक्त वर्णित प्रावधान से स्पष्ट है,कि प्रार्थीगण द्वारा आवेदित रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता हो तथा वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध होने पर नया रास्ता बनाने हेतु अनुज्ञात किया जा सकेगा।

07. चूंकि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण की खातेदारी खेत खसरा संख्या 199 में आवागमन हेतु राजस्व रेकर्ड एवं मौके पर कोई रास्ता उपलब्ध नहीं हैं,अतः उक्त वर्णित धारा 251–क प्रावधानानुसार प्रार्थीगण की आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता प्रमाणित होती है तथा आवागमन हेतु वैकल्पिक साधन के अभाव भी प्रार्थीगण द्वारा सिद्ध किया गया हैं। विप्रार्थी तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण द्वारा आवेदित रास्ते की चौडाई 09 मीटर के आधार पर रकबा 0.3195 हैक्टयर बनता हैं तथा प्रस्तावित रास्ता ही एकमात्र विकल्प बताया है,इसके अलावा अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं होना बताया है। तहसीलदार पचपदरा द्वारा अपनी रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया है कि प्रस्तावित रास्ता ही दिया जाना उचित है। इसके अतिरिक्त तहसीलदार पचपदरा द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट में न ही राजहित के प्रभावित होने का उल्लेख किया है। उक्त विवेचन के आधार पर विप्रार्थी तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में दर्शित नजरी नक्शा अनुसार रास्ता उपयुक्त एवं व्यावहारिक प्रतीत होता हैं। उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है कि प्रार्थीगण का आवेदन–पत्र स्वीकार योग्य है। ऐसी सूरत मे प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

08\. उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तक पहुंचने हेतु वांछित रास्ता उपलब्ध करवाना अधिक उपयुक्त है,अतः हम प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही के लिए यहां राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.3(52) राज–6/12/4 दिनांक 14.06.2013 में वर्णित प्रावधानों का उल्लेख करना आवश्यक समझते हैं,जिसके अनुसारः–

यदि कोई खातेदार अपनी जोत तक पहुंचन के लिए राजकीय भूमि में से होकर नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विधमान मार्ग का विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है,तो ऐसे खातेदार द्वारा ऐसे सुविधा के लिए आवेदन करने पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा जॉच करने पर यह समाधान हो जाये कि मार्ग की आवश्यकता है एवं खातेदार को उसकी जोत तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव हैं। उक्त स्थिति में राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 2 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई। कृषि भूमि दरों का दुगना प्रतिकार लिया जाकर रास्ता प्रदत्त किया जावे। यह नया मार्ग लघुत्तम या निकटतम रूप से होगा तथा 30 फीट से अधिक चौड़ा नहीं होगा। रास्ते के लिए प्रदत्त की गई भूमि राजस्व अभिलेखों में रास्ते के रूप में अभिलेखित की जायेगी एवं उक्त भूमि का प्रयोग सार्वजनिक होगा।

09\. उक्त वर्णित प्रावधानों के अनुसरण में तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तावित रास्ता खसरा संख्या 689/195 मे से कुल रकबा 355 मीटर लम्बाई व 09 मीटर चौड़ाई के आधार पर रास्ते हेतु कुल रकबा 0.3195 हैक्टयर भूमि की सार्वजनिक रास्ता हेतु डी.एल.सी.दर की प्रति बीघा की दुगुनी प्रतिकर हेतु देय है,जिसको प्रार्थीगण राजकोष के निर्धारित शीर्ष में जमा करवाने हेतु सहमत है,अतः हम प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र वांछित अनुतोष अनुरूप स्वीकार करना उचित एवं न्यायसंगत समझते हैं।

<u>आदेश</u> :–

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है,तथा ग्राम मेवानगर तहसील पचपदरा मे प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 199 में पहुंच हेतु खसरा संख्या 689/195 में से संलग्न नजरी नक्शा मार्क C से D बरंग हरा अनुसार लम्बाई 355 मीटर व 9 मीटर चौड़ाई के आधार पर रास्ते हेतु कुल क्षेत्रफल 0.3195 हैक्टयर (3195 वर्गमीटर) भूमि सार्वजनिक रास्ते के रूप में उपयोग हेतु अनुज्ञात की जाती है। तहसीलदार पचपदरा को निर्देश प्रदान किये जाते है कि उक्त वर्णित भूमि का प्रतिकर राशि की अपनी स्तर पर गणना करते हुए कुल देय राशि की दुगुनी राशि

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

वसूल की जाकर राजकोष मे जमा करवाने के बाद नियमानुसार राजस्व रेकॉर्ड में अंकन करे तथा मौके पर उक्त घोषित सार्वजनिक रास्ते का सीमाज्ञान किया जाकर प्रार्थीगण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें तथा पालना रिपोर्ट न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर लेख्य भंडार हो।

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

05/12/25

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 05.12.2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

05/12/25

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा